

न्यायालय आरबीट्रेटर जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 03/2017 फोरलेन

उनवान

- | | | |
|--|------|---|
| 1. श्री नवरतनमल पिता रतनलाल
महाजन निवासी पुर तहसील एवं
जिला भीलवाड़ा | बनाम | 1. श्रीमान सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति)
एवं उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा
2. परियोजना निदेशक (एन.एच.ए.आई.)
कार्यान्वयन इकाई 6-ए-1, आर.सी.व्यास
कॉलोनी, भीलवाड़ा |
|--|------|---|

—प्रार्थी

—विपक्षीगण

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 जी (5) नेशनल हाईवे एक्ट 1956 विरुद्ध अवार्ड सक्षम
अधिकारी(भूमि अवाप्ति) भीलवाड़ा बमामले क्रमांक/न्याया0 177/2015/ प्रतिकर
निर्धा0/ दिनांक 08.07.2015

उपस्थित:— श्री दिनेश शिशोदिया, अधि0 प्रार्थी की ओर से
श्री दिनेश बापना, अधि0 विपक्षी संख्या 2 की ओर से

आदेश


दिनांक 03/04/2018

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 3 जी(5) नेशनल हाईवे एक्ट 1956 सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा के प्रकरण संख्या 177/2015/प्रतिकर निर्धा0 निर्णय दिनांक 08.07.2015 द्वारा दिलाये गये क्षतिपूर्ति की राशि में बाजार दर से मुआवजा राशि व अन्य सभी परिलाभ जो अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत दिलाये जाने बाबत दिनांक 20.01.2017 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की ग्राम पुर की आराजी नम्बर 2872 रकबा 04 बीघा अवस्थित चली आ रही है जिसमें से रकबा 0.0100 हैक्टर भूमि अवाप्त की गयी। जिसके सम्बन्ध में विपक्षी संख्या 1 के द्वारा जो अवार्ड दिनांक 08.07.2015 को पारित किया गया है वह नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत होकर काबिल अपास्तगी के है। केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम 1956 की धारा 3 ए(1) के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 25 फरवरी 2014 को प्रकाशित की गई तत्पश्चात विहित अधिनियम की धारा 3 जी (1) के अन्तर्गत दिनांक 29 दिसम्बर 2014 को अधिसूचना प्रकाशित होकर दो स्थानीय समाचार पत्रों में दिनांक 22.02.2015 को प्रकाशन करवाया गया। उक्त अधिसूचनाओं की कोई किसी प्रकार की व्यक्तिगत तामील प्रार्थी पर नहीं करवायी गयी है तथा अवार्ड जारी कराये जाने तक भी प्रार्थी को इस सम्बन्ध में कोई किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई अर्थात् आलोच्य अवार्ड प्राकृतिक सिद्धान्तों की जानबूझकर अनदेखी कर पारित किया गया है। प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही अधिनियम की धारा 3-जी(1 व 2) के तहत कोई किसी प्रकार का आपत्ति आमंत्रित करने के सम्बन्ध में व्यक्तिगत नोटिस नहीं दिया गया तथा न कोई व्यक्तिगत तामील ही इस सम्बन्ध में कोई किसी प्रकार के नोटिस की व्यक्तिगत तौर पर प्रार्थी पर करायी ही गयी है तथा जो अवार्ड राशि 6 लाख 80 हजार 700 रुपये प्रतिबीघा यानि 273 रुपये प्रतिवर्ग मीटर के आधार पर प्रार्थी को उक्त भूमि के एवज में दिलाने का जो अवार्ड पारित किया है वह बिल्कुल विधि के

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

विपरीत होकर बहुत कम है क्योंकि अवाप्तशुदा भूमि की मार्केट वेल्यू 30 लाख रुपये प्रतिबीघा के हिसाब से है तथा अवाप्तशुदा भूमि जिसका रकबा लगभग 1 बीघा से अधिक है का मुआवजा भी मार्केट वेल्यू के आधार पर 30 लाख रुपये प्रतिबीघा के हिसाब से दिलाया जाना चाहिये था किन्तु विपक्षी संख्या 1 ने मार्केट वेल्यू को नजर अन्दाज कर आलोच्य अवार्ड पारित करने में भारी भूल की है। डीएलसी रेट जो समय समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है उस अनुसार भी अवाप्तशुदा आराजी जो पुर बाईपास से रोड़ से 350 मीटर की परिधि के अंदर-अंदर आती है जिसकी डीएलसी रेट सन् 2013 में 11 लाख 50 हजार 644 रुपये प्रतिबीघा रही है तथा वर्तमान में 30 लाख रुपये से कम की नहीं है। ऐसी हालत में जो अवार्ड 6,90,700.00 रुपये प्रतिबीघा के हिसाब से पारित किया गया है वह बहुत कम होकर काबिल बढोतरी के है अर्थात 30 लाख रुपये प्रतिबीघा के हिसाब से अवाप्तशुदा भूमि का प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी है। वर्तमान में केन्द्रीय सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 को दिनांक 1.01.2014 से लागू किया गया है चूंकि उक्त अधिनियम को नेशनल हाईवे अधिनियम 1956 पर लागू नहीं किया जाकर दिनांक 31.12.2014 को अधिसूचना जारी कर उक्त अधिनियम की धारा 105(3) में संशोधन कर नेशनल हाईवे अधिनियम 1956 पर भी उक्त अधिनियम के प्रावधान मुआवजा निर्धारण हेतु दिनांक 01.01.2015 से लागू कर दिये है जिससे भी प्रार्थी रिफ्लेक्टर एक्ट, 2013 के तहत मुआवजा प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पारित अवार्ड दिनांक 08.07.2015 को अपास्त किया जाकर अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा बाजार दर से 30 लाख रुपये प्रतिबीघा के हिसाब से प्रतिकर राशि व अन्य राशिया परिलाभ आदि मय ब्याज के प्रार्थी को दिलाये जाने बाबत अवार्ड जारी फरमाया जावे अथवा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत मुआवजे का निर्धारण कराये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 20.01.2017 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जाहिर हेतु नोटिस जारी किये गये तथा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा से क्षतिपूर्ति राशि हेतु पारित अवार्ड संबंधी रेकार्ड तलब किया गया। विपक्षी संख्या 2 की ओर से दिनांक 24.04.2017 को जवाब प्रस्तुत हुआ। जवाब में बताया कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 व 3 में अंकित तथ्यों को अस्वीकार किया है। बिन्दु संख्या 2 के सम्बन्ध में लिखा कि अधिसूचना जारी करने का तथ्य स्वीकार है शेष तथ्य गलत होकर अस्वीकार है। कलम संख्या 4 में अंकित किया कि सक्षमप्राधिकारी जी ने सम्बन्धित पटवार हल्का एवं तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट एवं राजस्व अभिलेख का अवलोकन रने के उपरान्त अधिनियम की धारा 3ए की अधिसूचना प्रकाशन के दिन प्रचलित डी0एल0सी0 दर के अनुसार विधिवत अवार्ड जारी फरमाया जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। कलम संख्या 5 में अंकित किया कि रिफ्लेक्टर एक्ट, 2013 दिनांक 01.01.2015 से प्रभावशील किया गया है। यदि प्रार्थी पात्रता रखता है तो उसे सक्षम अधिकारी जी के यहां चाराजोही करनी चाहिए थी। माननीय न्यायालय में यह प्रार्थनापत्र कानूनन पोषणीय नहीं है। कलम संख्या 6 के सम्बन्ध में अंकित किया कि अवाप्त की गई भूमि की किस्म नहरी प्रथम है जिसकी अधिनियम की धारा 3ए की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक को उक्त भूमि बाबत जो प्रचलित डी0एल0सी0 दर (जो कि जिला स्तरीय कमेटी द्वारा मार्केट रेट को ध्यान में रखकर ही तय की जाती है) अनुसार जो अवार्ड पारित फरमाया है वह किसी प्रकार से अपास्त नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।


 जिला कलक्टर
 भीलवाड़ा

प्रार्थी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट(सक्षम अधिकारी) भीलवाड़ा से जारी अवार्ड संख्या/फोरलेन/177/2015/प्रतिकर निर्धा0 दिनांक 08.07.2015 की प्रमाणित फोटो प्रति प्रस्तुत की अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने पर दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

बहस में वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा रिफ्लेक्टर एक्ट, 2013 के प्रावधानानुसार संशोधित अवार्ड जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति)उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा को आदेश फरमावें। बहस में वकील अप्रार्थी संख्या 02 ने भी प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अवार्ड विधिवत जारी किया गया है। प्रार्थी के नाम अवार्ड दिनांक 07.08.2015 को जारी किया जा चुका था तथा रिफ्लेक्टर एक्ट, 2013 दिनांक 01.01.2015 से लागू किए जाने से माननीय सक्षम प्राधिकारी के स्तर पर किसी प्रकार की कार्यवाही संभव नहीं होने से उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रथम कथन है कि प्रार्थी को व्यक्तिगत तामील नहीं करवाई गई तथा अवार्ड जारी होने तक भी नहीं सुना गया। इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी की पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी भू-भाग ग्राम पुर, तहसील भीलवाड़ा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 2872 रकबा 0.0100 हैक्टर भूमि अवाप्त की गई। भूमि अवाप्त करने से पहले हितबद्ध व्यक्ति को जहां तक व्यक्तिगत सुनवाई का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में भूमि अवाप्ति अधिनियम 1956 के अन्तर्गत व्यक्तिगत सुनवाई के कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि विहित अधिनियम की धारा 3ए (1) प्रकाशित अधिसूचना को स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन कराया जाता है। यह प्रकाशन सार्वजनिक रूप से कराया जाता है और इसी के आधार पर प्रकाशन की तिथि से हितबद्ध व्यक्ति/खातेदार को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए 21 दिन की समय सीमा नियमों में अवधारित है। ऐसी स्थिति में परिवादी ने अपने परिवाद में व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जो आक्षेप किया, वो अमान्य करार दिया जाता है।

- द्वितीय कथन है कि अवाप्ताधीन भूमि की मार्केट वेल्यू 30लाख रुपये प्रतिबीघा के हिसाब से मुआवजा दिलाया जावे परन्तु अवाप्तधीन भूमि या इसी श्रेणी की आस-पास की अन्य भूमियों के हस्तान्तरण/विक्रय सम्बन्धी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिसमें दिनांक 25.02.2014 या इससे पूर्व इसी किस्म की भूमि की मार्केट वेल्यू 30 लाख रुपये प्रति बीघा से दस्तावेज का पंजीयन हुआ हो। परिवादी ने अपने परिवाद में जो कथन किया है ऐसी व्यवस्था नहीं होकर भूमि अवाप्ति अधिनियम 1956 की धारा 3ए (1) जो भारत के राजपत्र में दिनांक 25.02.2014 को प्रकाशित की गई थी, उस दिनांक को प्रचलित जो डी0एल0सी0 दर है उसी अनुरूप प्रतिकर निर्धारण करने की व्यवस्था नियमों में दी गई है। अब यहां पर वर्ष 2013-2014 को प्रचलित डी0एल0सी0 दर से प्रतिकर निर्धारण करने के बारे में परिवादी ने अपने परिवाद में उल्लेख किया है। इस सम्बन्ध में डी0एल0सी0 दर का अवलोकन करने पर यह तथ्य निर्विवाद है कि दिनांक 10.05.2013 को जो डी0एल0सी0 दर निर्धारित थी, वो ही डी0एल0सी0 दर दिनांक 08.07.2015 को प्रभावशील रही, जिससे सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा प्रतिकर निर्धारण करते समय दिनांक 10.05.2013 को प्रचलित डी0एल0सी0 दर को आधार स्तम्भ लेकर दिनांक 08.07.2015 को प्रतिकर का निर्धारण करने में कोई कानूनी त्रुटि नहीं की है।
- प्रार्थी का तृतीय कथन है कि अवाप्ताधीन भूमि का मुआवजा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानानुसार दिलाया जावे। जहां तक भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 के अनुसार प्रतिकर

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

निर्धारण करने का प्रश्न है, प्रथम दृष्टया भूमि अवाप्ति के सम्बन्ध में जो अधिसूचना प्रकाशित की गई है वो दिनांक 25.02.2014 अथवा 01.01.2015 से पहले की है। अर्थात् भूमि अवाप्ति के लिए जो प्रक्रियाएं प्रारम्भ की गईं वो भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 जिसे दिनांक 01.01.2015 से प्रभावशील किया गया है, इससे पहले ही अवाप्ति प्रक्रिया प्रारम्भ होकर अधिसूचनाओं का प्रकाशन हो चुका था। परन्तु अर्वा 01.01.2015 के पश्चात जारी होकर भुगतान किया गया। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(3)राज-6/2011/7 जयपुर दिनांक 11.03.2014 में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार अधिनियम 1894 की धारा 11 के अन्तर्गत 31.12.2014 से पूर्व अर्वा जारी हो चुका तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 में उक्त अधिनियम में दिनांक 31.12.2014 से संशोधन किए जाने से उक्त दिनांक से पूर्व अर्वा जारी किया गया हो तो ऐसे प्रकरणों में कार्यवाही नवीन अधिनियम 2013 के तहत नहीं होगी परन्तु अधिनियम 2013 के प्रभावी होने अर्थात् 01.01.2015 के पश्चात यदि अर्वा भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत जारी किए गए हैं तो ऐसे प्रकरणों में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अर्वा संशोधन की कार्यवाही की जाएगी। प्रकरण के अवलोकन से जाहिर आया कि सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के द्वारा ग्राम पुर की अवाप्ताधीन आराजी नम्बर 2872 रकबा 0.0100 हैक्टर के सम्बन्ध में अर्वा दिनांक 08.07.2015 को जारी किया जो कि भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रभावी होने की दिनांक 01.01.2015 के पश्चात जारी किया है इस सम्बन्ध में स्वयं अप्रार्थी संख्या 02 के द्वारा भी अपने जवाब में स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 के तहत प्रतिकर का निर्धारण किया जाना युक्तियुक्त माना जा सकता है।

इस प्रकार उपर किये गये विवेचन के अनुसार सक्षम प्राधिकारी/उपखण्ड अधिकारी (भूमि अवाप्ति) भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 177/2015 आदेश दिनांक 08.07.2015 से परिवादी की कृषि भूमि वाके ग्राम पुर, तहसील भीलवाड़ा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 2872 रकबा 0.0100 हैक्टर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 (राजसमन्द से भीलवाड़ा खण्ड) चारलेन हेतु अर्वा की गई भूमि के लिए प्रतिकर निर्धारण भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानानुसार किया जाना चाहिए था परन्तु उक्त अधिनियम में प्रार्थी को प्रतिकर का भुगतान नहीं किए जाने से परिवादी का परिवाद स्वीकार योग्य ठहराया जाता है। अतएव-

आदेश

प्रार्थी/परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा बमामले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 (राजसमन्द से भीलवाड़ा खण्ड) चार लेन निर्माण हेतु प्रकरण संख्या 177/2015 प्रतिकर अर्वा निर्णय दिनांक 08/07/2015 को खारिज करते हुए पुनः प्रतिकर निर्धारण हेतु प्रकरण सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जाता है। तलबिदा रेकार्ड मय निर्णय प्रति के अधीनस्थ भूमि अवाप्ति अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 03/04/2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुक्तानंद अग्रवाल)
जिला कलेक्टर(आर्बीट्रेटर)
भीलवाड़ा